

- 01. यादिकादी कु श्री किरासिदि
- 02. जागनासिदि कु श्री यादिकादी
- 03. जागनासिदि कु श्री यादिकादी
- 04. बिनासिदि कु श्री यादिकादी समस्त जादियाज राजपूत, बिनासिदि-दीपानदी जागीर, धार कषि कर्म, पाल रोड, जाधपुर।



- 01. श्रीमती देवी पूर्णा आभाकषा खोड, जाति आसवाल, बिनासिदि-1/5, राजू मेशान बाटकोपर (डेट), मजड।
- 02. सिरीर तहसीलदार जाधपुर।

अधिल अन्दाधारा 225 राजस्थान कायदाकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाक आदेश सहसक कलक्टर एवं उपायुक्त अधिकादी, जाधपुर दिनांक 03 जुलाई 2014 राजस्व विविध धारणा पत्र संख्या 51/2014 यादिकादी व अन्य बलान श्रीमती देवी

उपस्थित- श्री अंपासिदि जाग, अधिवक्ता-अधीनउत्स श्री देवायान जाधरी, राजकीय अधिवक्ता, रूपा. संख्या दे

जि ए य

दिनांक : 29 अक्टूबर 2021 अधीनउत्स ले न्यायालय सहसक कलक्टर एवं उपायुक्त अधिकादी जाधपुर द्वारा राजस्व विविध धारणा पत्र संख्या 51/2014 यादिकादी व अन्य बलान श्रीमती देवी से पारित आदेश दिनांक 03 जुलाई 2014 के खिलाफ आगोच्य अधील अदागत हाजा के समक्ष राजस्थान कायदाकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 16 सितंबर 2014 को परतव की है।

जाधपुर
राजस्थान अधिकादी

(Signature)

गया था। अपीलार्थि द्वारा रिश्वत जियात के आदेश को माननीय राज्य मन्डल, माननीय राज्यपाल उच्च न्यायालय में चुनौती दी जो बहाल रहा पर माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी जो बहाल रहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय शिखर न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थि आदेश में संशोधन किया जाना न्यायार्थि नहीं सकता, जिससे अदालत द्वारा उक्त है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अवैध आदेश में हस्तक्षेप किया जाना अदालत द्वारा ही है।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलार्थि खारिज की जाती है। न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राज्य विधि प्रणाली पर संख्या 51/2014 प्रोपर्टिज व अन्य वजह सूचिका देवी में पारित आदेश दिनांक 03 जुलाई 2014 को स्थगित रखा जाता है।

दिनांक 03/07/2014

जिला मजिस्ट्रेट एवं सहायक सेशन जज, जोधपुर

(नरवदल बरकत)

जोधपुर

